

उपायुक्त -सह- जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़

(जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, रामगढ़)

-: आवश्यक सूचना :-

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, रामगढ़ के अधीन केन्द्र प्रायोजित महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के कार्यान्वयन हेतु तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष) रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी है। उक्त पद पर नियुक्ति पूर्णतया संविदा के आधार पर होगी :-

क्र०	पद	कुल	अनारक्षित	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)	05	03	01	00	00	01

उपर्युक्त पद हेतु आवश्यक योग्यता/अर्हताधारी अभ्यर्थियों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

1. शैक्षणिक योग्यता :-

तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)	<p>क. अनिवार्य योग्यता :- सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी०ई० या बी०टेक० अनिवार्य योग्यता होगी।</p> <p>ख. अतिरिक्त योग्यता :- A. सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में एम०टेक० तथा पी०जी०डी०सी०ए०/एम०सी०ए०/एम०एस०सी० कम्प्यूटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी। B. एम०सी०ए०/एम०एस०सी० कम्प्यूटर को समान्य योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनु रूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मुल रूप में एम०सी०ए० की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी०जी०डी०सी०ए० तथा एम०सी०ए० में समतुल्यता लाने हेतु पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में घटा दिया जायेगा।</p>
--	--

2. आयु सीमा :

सहायक अभियंता पद के लिए अभ्यर्थियों हेतु आयु सीमा, भर्ती के समय राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत्त आदेशों के अनुसार की जायेगी। आयु सीमा दिनांक 01.08.2019 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम:-

(क) अनारक्षित	35 वर्ष
(ख) पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग	37 वर्ष
(ग) महिला (अनारक्षित, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा)	38 वर्ष
(घ) अनु० जाति/अनु० जनजाति (पुरुष एवं महिला)	40 वर्ष

3. राष्ट्रीयता : आवेदक भारत का नागरिक हो।

4. आरक्षण : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण रोस्टर रामगढ़ जिला को राज्य सरकार के द्वारा तत्समय प्रवृत्त आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

5. परिलब्धि : 19234/- (उन्नीस हजार दो सौ चौतिस रुपये) रू० प्रतिमाह अथवा राज्य द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित राशि के आधार पर पुनरिक्षित मानदेय।

6. नियुक्ति का प्रकार/अवधि/पदस्थापन :

क. नियमावली के परिशिष्ट 1 तथा II में उल्लेखित सभी पदों पर नियुक्तियाँ पूर्णतया संविदा के आधार पर होगी। ऐसे नियुक्त व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार पर कोई दायित्व नहीं होगा।

ख. प्रारम्भिक चरण में ऐसी नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जायेगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व पद विशेष पर नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के

आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। तत्पश्चात राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर लिये गये निर्णय के अनुरूप यदि उनके सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी तो नियुक्ति समिति द्वारा ही कार्य की समीक्षा के पश्चात उपयुक्त पाये जाने पर वार्षिक रूप से ऐसी नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा।

- ग. संविदा के आधार पर नियुक्ति का नियम 11 (ख) में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- घ. नियुक्ति रामगढ़ जिले के लिए किया जायेगा, चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन संबंधित जिला के किसी प्रखण्ड में करने के लिए नियंत्री पदाधिकारी सक्षम होंगे तथा उनका निर्णय बाध्यकारी होगा।
- ड. यदि कोई कार्यरत कर्मी ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत कर्मी की सेवा समाप्त कर सकेंगे। परन्तु कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर ऐसे कार्यरत कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी वक्त समाप्त की जा सकेगी।
7. सहायक अभियंता के पद पर नियुक्ति हेतु झारखण्ड राज्य के निवासियों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है, साथ ही सभी अभ्यर्थियों को स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र दिनांक 02.06.2018 के बाद का होना चाहिए। साथ ही पूर्व में मनरेगा योजना के अन्तर्गत कार्य कर रहे अभ्यर्थियों को चयन में प्राथमिकता दिया जायेगा।
8. अभ्यर्थी द्वारा किसी एक जिला में ही आवेदन दिया जा सकेगा, उसे आवेदन के साथ यह शपथ पत्र देना होगा कि झारखण्ड राज्य के किसी अन्य जिला में इस पद हेतु आवेदन समर्पित नहीं किया गया है। यदि उनका यह शपथ पत्र कभी भी गलत पाया गया तो उनकी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जायेगी तथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।
9. **प्रमाण पत्र अनुलग्नक : (विहित प्रपत्र में)**
आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणति छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक है:-
- क. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
ख. अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र (यदि दावा करते हैं)
ग. स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र
घ. अभियार्थियों के पहचान/पता प्रमाण पत्र:-

पहचान का प्रमाण	पते का प्रमाण
मतदाता पहचान पत्र	बिजली बिल
पासपोर्ट	बैंक खाता विवरण
पैन कार्ड	टेलीफोन बिल
ड्राइविंग लाइसेंस	राशन कार्ड
(इनमें से कोई एक प्रमाण पत्र)	(इनमें से कोई एक प्रमाण पत्र)

10. अंतिम तिथि :

आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में दिनांक 09/10/2019 के अपराह्न 05:00 बजे अपराह्न तक निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा उप विकास आयुक्त -सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक, रामगढ़ के जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, रामगढ़ में भेजा जा सकता है।

11. विज्ञापन/आवेदन प्रपत्र कि विस्तृत विवरणी रामगढ़ के वेबसाईट www.ramgarh.nic.in अथवा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, रामगढ़ के कार्यालय सूचनापट्ट पर भी देखा जा सकता है।

ह०/—
उपायुक्त,
रामगढ़।

आवेदन पत्र का प्रपत्र

1. आवेदित पद का नाम :
2. अभ्यर्थी का नाम (हिन्दी में) :
अंग्रेजी के (Block) अक्षरों में :
3. पिता/पति का नाम :
4. स्थायी पता :
5. वर्तमान पता :
6. जन्म तिथि :
7. दिनांक (01.08.2019) को उम्र.....वर्षमाह.....
8. लिंग : पुरुष/महिला:
9. कोटि : अ.जा./अ.ज.जा./अत्यंत पिछड़ी जाति/पिछड़ी जाति/सामान्य(जो लागू नहीं काट दें)
10. (क) अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता :

हाल का
अभिप्रमाणित
फोटो

क्र०	परीक्षा का नाम	विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम	कुल प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत

(ख) अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता :

क्र०	परीक्षा का नाम	विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम	कुल प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत

11. अनुभव का विवरणी एवं प्रमाण-पत्र :

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी सूचनाएँ सत्य है एवं किसी भी प्रकार की सूचना गलत पाये जाने पर मेरे/मेरी उम्मीदवारी रद्द करते हुए आवश्यक कानूनी कारवाई की जा सकती है।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर

नोट:- आवेदन पत्र के साथ सभी प्रकार के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों/अंक पत्रों/जाति प्रमाण पत्र/आयु के प्रमाण पत्र स्वरूप माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्णता से संबंधित बोर्ड का प्रमाण-पत्र/आवासीय प्रमाण पत्र/विकलांगता प्रमाण-पत्र असैनिक शल्क चिकित्सक –सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें। उल्लेखित पते पर निबंधित/स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में अन्य माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएँगे। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 09/10/2019 के अपराह्न 05:00 बजे तक निर्धारित है। विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र में प्राप्तांक के स्थान पर ग्रेड का उल्लेख है, वे संबंधित संस्थान से ग्रेड का प्राप्तांक में सम्परिवर्तन प्रमाण पत्र निश्चित रूप से संलग्न करेंगे। लिफाफे के उपर आवेदित पद के नाम का उल्लेख अवश्य करें। साथ ही आवेदन के साथ संलग्न सभी तरह के प्रमाण पत्र की छायाप्रति स्व-अभिप्रमाणित होना आवश्यक है।